तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/2/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 8/3/22 को पेश हो।
8/3/22	पत्रावली पेश हुई अधि० उभयपक्ष उप० पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 22/3/22 को पेश हो।
22/3/22	पत्रावली पेश हुई अधि० उभयपक्ष उप० दिनांक 15/10/21 को पेश राजीनामा उभयपक्ष के अधि० की उप० में अधि० वादी एवं प्रतिवादी द्वारा तस्दीक किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 12/4/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)
12/4/22 मानसिंह बीरबल ओमप्रकाश	पत्रावली पेश हुई अधि० उभयपक्ष उप० प्रार्थी बीरबल पुत्र धनश्याम, मानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह ओमप्रकाश पुत्र धुंगरसिंह ने शपथ पत्र पेश किये। नकल अधि० प्रतिवादी को दी गई अभिभावक प्रतिवादीगण द्वारा उक्त शपथ पत्रों को स्वीकार किया पत्रावली वास्ते बहस/आदेश दिनांक 26/4/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)
26/4/22	पत्रावली पेश हुई अधि० वादी एवं प्रतिवादी उप०। मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार रिकॉर्ड नम्बर की जावे। वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with Oken Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजीव शर्मा (आर.ए.एस)

वाद कमांकः— 96 / 2019

1.राजेन्द्र सिंह 2.[illegible] सिंह	पुत्रान उम्मेद सिंह	समस्त जातियान जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
3.बीरवती 4.[illegible] सिंह	पुत्रान घनश्याम	
5.[illegible]गन्ती वेवा	घनश्याम	

..........................वादीगण

बनाम

1. गोविन्द सिंह 2. अजय सिंह	पुत्रान हरेती	समस्त जातियान जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
3. सुजान सिंह 4. मुकेश 5. विमल उर्फ चन्दशेखर	पुत्रान खूबीराम	
6. दलवीर		
7. अनीता पुत्री खूबीराम		
8. वृजेश 9. हेमेन्द्र	पुत्रान तेजसिंह	
10. कमलेश पुत्री तेजसिंह		
11. माया वेवा तेजसिंह		
12. मेवाराम 13. डालचन्द	पुत्रान सुन्दर	

.......................प्रतिवादीगण

दावा धारा 88,89 व 188 आर0टी0ए0

उपस्थितिः—

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एड0— अभि0 वादी
2. श्री सचिन शर्मा एड0— अभि0 प्रतिवादी

दिनांकः— 26.04.2022

निर्णय

वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा उक्त दावा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 व 188 के तहत इस आशय के साथ पेश किया है कि खाता संख्या 78 आराजी खसरा नम्बर 275 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा बाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में स्थित है जो वादीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की आराजी है नकल जमाबन्दी सम्बत् 2069 से 2072 सलंग्न है।उक्त आराजी में वादीगण के पूर्वज 50 सालों पूर्व से यानि की सम्वत् 2012 से पूर्व से ही न्यारानूर होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसमें आज तक किसी व्यक्ति ने बाधा व अवरोध नहीं किया है उक्त सम्पूर्ण आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त निरन्तर की जानकारी भी सभी को है आज भी उक्त आराजी पर वादीगण न्यारानूर रूप से काबिज है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कभी भी किसी भी प्रकार का सम्बन्ध व

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with Oken Scanner

सरोकार नहीं रहा है नाही कभी था नाही अब है लेकिन प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति थे जिन्होंने वादीगण व उनके पूर्वजों से छिपाते हुए राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों से मिल्लत करते विवादित आराजी का 3/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 11 एवं 3/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के नाम करा दिया है।

दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिकी फरमाया जावे कि सम्पूर्ण विवादित आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन के वादीगण खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है प्रतिवादीगण का इस आराजी से कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है वादीगण की 50 सालों से निरन्तर कब्जा काश्त है इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर सम्पूण आराजी में वादी सं0 1 को 1/3 व 2 को 1/3 एवं वादी सं0 3 लगा0 5 को 1/3 हिस्सा में बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रविवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेध से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा नहीं करे शान्तिपूर्वक चले आ रहे उपयोग व उपभोग में बाधाकारित नहीं करे आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय मुंन्तकिल नहीं करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण एवं वादीगण के द्वारा दिनांक 14.10.2021 को राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 14.10.2021 को पेश राजीनामा दिनांक 22.03.2022 को अभि0 वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा तस्दीक किया गया। वादपत्र में वादी की ओर से बीरबल पुत्र घनश्याम, मानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, ओमप्रकाश पुत्र सुघड सिंह की ओर से शपथ पत्र पेश किए जो कि अभि0 प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

राजीनामा पर अभि0 वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2069--2072 एवं राजीनामा दिनांक 14.10.2021 का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना सही प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है। खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम फतेहपुर में प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम किया जावे। उक्त डिकी की पालना वादीगण द्वारा नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि का भुगतान किए जाने के पश्चात ही किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजीव शर्मा(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन

Scanned with Oken Scanner